


आम सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम :राहम, थाना :टंडवा, थाना सं :62 ; जिला :-चतरा, (झारखण्ड) के कोयला धारक अधिनियम(अर्जन एवं विकास), 1957 {CBA (A&D) Act 1957}, SO संख्या. 1224 (अ) दिनांक 20.4.2017 के तहत CCL के द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज में भूमि-मुआवजा के लिए दावा CCL के समक्ष पेश कि गयी है जिसका कि जाँच एवं सक्षम पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति/approval हेतु प्रक्रिया जारी है .आवेदक के अनुसार भू स्वामी का विवरण व भूमि मुआवजे की गणना की गई राशि इस प्रकार है।

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास) 1957	ग्राम	भूमि का प्रकार	रैयत का नाम	खता सं.	प्लोट संख्या	दवित रकबा (एकड़ मे)	प्रस्तावित मुआवजा राशि (रूपया मे)	प्रस्तावित मुआवजा का आधार
1	1224(अ) दिनांक 20.4.2017	राहम	रैयती	किशुन पाण्डेय पिता शिव टहल पाण्डेय	47	781 (भाग)	1.453	1311913.70	खतियान
कुल							1.453	1311913.70	

अगर उक्त विवरण, दावा अथवा मुआवजा राशि पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा या आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से 10 (दस) दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे कार्यालय परियोजना पदाधिकारी, मगध परियोजना, कार्यालय महाप्रबंधक, मगध संघमित्र क्षेत्र या महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष) भूमि एवं राजस्व, सी.सी.एल, दरभंगा हाउस, राँची के समक्ष उठा सकते है।

अगर उक्त 10 (दस) दिनों के अंदर, इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त वर्णित भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर किसी को भी, कोई भी प्रकार का, किसी भी बिंदु पर, कोई आपत्ति नहीं है।


25/4/24

विभागाध्यक्ष (भूमि एवं राजस्व)
सी.सी.एल, राँची